उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-201/2026/557के-2/22-3-25-17(1404)/23
लखनऊ : दिनांक: 08 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिशुपाल सिंह (बन्दी संख्या-18769) पुत्र श्री विशाल सिंह, निवासी ग्राम-लाखनमऊ, थाना-बरनाहल, जनपद-मैनपुरी, मा0 न्यायालय, विशेष सत्र न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), कोर्ट सं0-03, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 02-09-2019 द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-30/2012 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 27-01-2023 तक भोगी गई 04 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 06 माह की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27-01-2023 तक आयु 84 वर्ष, 02 माह, अच्छा जेल आचरण होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की वृद्धावस्था एवं अशक्तता, अच्छा जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in